

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
चतुर्थ तल, ब्लॉक - 2, सेक्टर 10-ए,
कर्मयोगी भवन, गांधीनगर (गुजरात)
ई-मेल: gandhinagar.ibm@gmail.com



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines.
4th Floor, Block-2, Sector 10-A,
Karmyogi Bhawan, Gandhinagar (Gujarat)

संख्या : गुज/खेडा/बॉक्सा.-024 Mine code 07GUJ09022

दिनांक : 16.04.2019

प्रेषित : Sh. Darshan Kumar N. Doshi
R/o Chandulal O. Desai petrol pump,
Opp. Town Hall, Kapadwanj,
Dist.- Kheda (Guj.) 387620

विषय : गुजरात राज्य के खेडा जिले, कपडवंज तालुका के सोरना गाँव में स्थित आपकी **Sorna Bauxite Mine सर्वे नं. 546/P**, क्षेत्रफल **2.2056 हैक्टेयर** में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन।

महोदय,

उपरोक्त खान का निरीक्षण अधोहस्ताक्षर द्वारा दिनांक 19.03.2019 को प्रतिनिधि श्री बृजेश आर पटेल की उपस्थिति में किया गया था तथा खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन पाया गया।

| नियम | पाये गये उल्लंघन की विस्तृत ब्यौरा |
|---------------|--|
| Rule 45(5)(c) | <p>The holder of a mining lease shall submit <u>online returns</u> in respect of each mine to the Regional Controller or any other authorised official of the Indian Bureau of Mines in the following manner. <i>In your case, while scrutiny of annual return 2017-18 following discrepancies are observed.</i></p> <ol style="list-style-type: none">(1) Part-I, Name of Lessee/Owner as per lease deed is Sh. Darshan Kumar N. Doshi, S/o Late Shri Narendra Kumar J. Doshi, It needs correction in annual return and Name of mine also to be given.(2) Part-I, Sr. No. 11, Particular of Area operated/lease Under Forest, Outside Forest & Total Area is not given.(3) Part-I, Sr.No.12, Land used details is not showing correctly area shown in waste disposal where as in mine its mineral reject stacked. Area used for sampling & manual sizing & sorting yards, other ancillary activities needs to shown in other purposes column. Area of old pits are not matching. Reconcile the land used & furnish details correctly.(4) Part-II, Employment and wage (II), under this part the details are not mentioned related to Employment and labour.(5) Part- III, Sr. No.1, Details of material consumed is not given.(6) Part- V, Sr. No. 1, Type of Ore Chemical specification of Lump, its Quality and other details should be filled.(7) Part- V, Sr. No. 3, Reserve and Resource estimated at the end of year are not furnished.(8) Under item 4.2 Details of bench not given. |

| | |
|--|---|
| | <p>(9) Part-V, Sec-5/6/8/9-HEMM capacity used in mine not given, and information of item 6(i)& (ii) also not given.</p> <p>(10) Part-VI, Sr. No. 2- Computation of Ex-mine price is not given correctly based upon invoice etc. The same may be reconciled.</p> |
|--|---|

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है, तथा इस नियम की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 45(7)(1) के अंतर्गत खान की सारी संकियाए बंद करने / या आपके विरुद्ध अभियोग दायर करने की सिफारीस की जा सकती हैं ।
03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप इस पत्र के जारी होने से 45 दिनों के भीतर उपरोक्त नियम की अनुपालना इस कार्यालय में दर्ज करावें।

भवदीय


(डी. डी. भारद्वाज)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

o/c

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

1. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर।
2. आयुक्त, भू-विज्ञान एवं खनन विभाग, गुजरात सरकार, ब्लॉक-1, सप्तम तल, उद्योग भवन, गांधीनगर।
3. उप महानिदेशक (सॉखियकी), खनन एवं खनिज सॉखियकी प्रभाग, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर, को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ताकि ऑनलाइन विवरणी में विसंगति दूर करवा सके (by referred back) । यह पत्र क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, गांधीनगर के अनुमोदन के बाद ही जारी किया जा रहा है ।
4. भूवैज्ञानिक का कार्यालय, भूविज्ञान एवं खान विभाग, सी-309, सरदार पटेल भवन, नडियाद , जिला खेडा (गुज.) ।
5. रक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

o/c

जारी किया/Issued

18/04/19

